F.No. AB-14017/13/2016-Estt.(RR)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training

Estt.-RR Division

North Block, New Delhi Dated: "January 2017

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Seventh Central Pay Commission's recommendations – revision of pay scales – amendment of Service Rules/Recruitment Rules.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 9th August, 2016 regarding amendment of Service Rules/Recruitment Rules by replacing the existing Pay Band and Grade Pay with the corresponding Level in the Pay Matrix in the revised pay structure recommended by the Seventh CPC and notified in the CCS(Revised Pay) Rules, 2016.

- 2. Subsequently, this Department held meetings in October/November, 2016 with the administrative Ministries/Departments to review the progress in the implementation of the OM. An important suggestion made in the meetings was with respect to facilitating the process of consultation with the Legislative Department for drafting notification for amendment of RRs in accordance with OM dated 9th August, 2016 and its Hindi translation so as to expedite the issue of notification. In this regard, this Department in consultation with Legislative Department has prepared a model notification in English and Hindi for use of the Administrative Ministries/Departments. These are annexed at Annexure I and Annexure II.
- 3. Another issue which came up in the meeting is with respect to retention of standard Note under Col.11 incorporated in the Schedule of the RRs regarding the regulation of service rendered prior to implementation of 6^{th} CPC, in those cases where the issue of upgradation/merger of the posts were involved. The relevant Note reads as follows:

"Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission."

and/or

"Note: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation."

- 4. After the implementation of 7th CPC, there are only a few cases of merger/upgradation of pay scale. It has been decided in consultation with UPSC that in cases where merger/upgradation of pay are not involved in the recommendations of the 7th CPC, the Note as referred above is not to be prescribed in the RRs/SRs. The guidelines in this regard have also been separately issued. The model notification includes a provision for deletion of the Note.
- 5. The Ministries/Departments are requested to finalise draft notification for amendment of the SRs/RRs in line with the model notification and thereafter, refer the same to the Legislative Department for vetting. The Legislative Department may dispose of references received from the Ministries/Departments within two weeks. Any amendment which is beyond the scope of the model rules will be finalized in usual process i.e. consultation with DoPT, UPSC and Legislative Department.
- 6. This Department is monitoring the implementation of the OM dated 09.08.2016. All Ministries / Departments are therefore requested to furnish information as per **Annexure-III** at the earliest.

Encl.: As above

Ly Jayanth. (Jayanthi G.)

Director (E.I)

To

All Ministries/Departments of Government of India

2)

Annexure-III

Subject: Status regarding amendment of Recruitment Rules in pursuance of OM dated 09.08.2016

		Whether RRs notification	If answer is no, current
		issued for amendment of	status to be indicated.
Sl.No.	Post/Designation	RRs as per DoPT OM	(Pending in the Ministry /
		dated 09.08.2016.	Legislative Department /
		(Yes/No)	Any other Reason)

Revised Model draft notification

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India Ministry of -----(Department of -----)

New Delhi, dated the ----, 2016 3

Notification

G.S.R .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend/further to amend** the ------(short title of the principal rules with year, as it appears in the Gazette notification), namely:-

*1 In case of first amendment to the principal rules, use the words "to amend" and in case of second or subsequent amendments, use the words "further to amend".

1. (1) These rules may be called the ----- (the portion of the name of the principal rules occurring before the word "Recruitment", followed by the words "Recruitment (Amendment) Rules, 2016^{*2}.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. For rule 2*3 of the ----- (short title of the principal rules with year, as it appears in the Gazette notification), the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.— The number of said post(s), its (their) classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules *4."
 - *3 Rule 2 relates to "Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale". In some rules where number of posts is more than one, this rule could be numbered as rule 3. Please quote the correct rule number as in the principal rules.
 - *4 in case the underlined words are differently worded in the principal rules, the same words may be used in place of the underlined words.
- 3. ** In the Schedule to the ---- (short title of the principal rules with year, as it appears in the Gazette notification),—
 - (a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

^{*2} the year shall be the year of amendment.

"Level in Pay Matrix	
(4)	
Level	
(Rs)";	

(b) in column (11), for the words, brackets and figures "Pay Band --- (Rs.----) plus (and) Grade Pay of Rs.----", *5 the words "Level----(Rs.----) in the Pay Matrix" shall be substituted.

in case the underlined words occur twice in that column, then the words "at both the places they occur," may be inserted at the place marked *5;

in case the underlined words occur more than two times, then the words "wherever they occur," may be inserted at the place marked *5.

- ** In case where the principal rules contain two posts or more, then, rule 3 shall be formulated as under:-
 - 3. In the Schedule to the ---- (short title of the principal rules with year, as it appears in the Gazette notification),—
 - (a) against serial number 1, relating to the post of -----,
 - (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

"Level in Pay Matrix
(4)
Level
 (Rs)";

- (ii) in column (11), for the words, brackets and figures "Pay Band --- (Rs.----) plus (and) Grade Pay of Rs.----", *5 the words "Level----(Rs.----) in the Pay Matrix" shall be substituted:
- (b) against serial number 2, relating to the post of -----,
 - (i) in column (4), ----- (as above);

^{*5} in case the underlined words occur only once in that column, then exactly as above;

1	(ii)	in	column	(11).	((as a	bove)":
١,	111	TII	Column	しょょりり		(us u	0010	, ,

(c) against serial number 3, relating to the post of -----.

Please note that the amendments in columns (4) and (11) are to be repeated for each of the posts as shown above]

[F.No.----] (Name and designation of the Authorised Signatory

Footnote.—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R.----, dated the -- in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated ----.

*The above footnote is used when the the principal rules are being amended for the first time.

In case of second amendment to the principal rules, footnote shall be as under—

"The principal rules were published *vide* notification number G.S.R.----, dated the ---- in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated ---- and was subsequently amended *vide* notification number G.S.R.-----, dated the ----."

In case of subsequent amendments to the principal rules, footnote shall be as under—

"The principal rules were published *vide* notification number G.S.R.----, dated the ---- in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated ---- and was subsequently amended *vide* notifications number G.S.R.-----, dated the ----, G.S.R.-----, dated the ----, number G.S.R.-----, dated the ----." (mention all amendments)

In case of large number of amendments, instead of mentioning G.S.R. number and dates of all amendments, the following formulation may be used—

"The principal rules were published *vide* notification number G.S.R.----, dated the ---- in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated ---- and was last amended *vide* notification number G.S.R.----, dated the ----." (mention only the last amendment).

Please note that in case where the principal rules are to be superseded and fresh rules are to be made, or where the rules are to be made for the first time, the Legislative Department shall be consulted.

**in case where the principal rules contained note under the subheading 'Promotion' or sub-heading 'Deputation' or both as the case may be, then, rule (c) and (d) under rule 3, as may be relevant shall be formulated as under:-

(c) the following note as per Sixth Central Pay Commission recommendations below Column(11) under sub-heading 'Promotion' may be omitted:-

"Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission."

(d) the following note as per Sixth Central Pay Commission recommendations below Column(11) under sub-heading 'Deputation' may be omitted:-

"Note: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation."

[भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
मंत्रालय
(विभाग)

नई दिल्ली, तारीख , 201 🛭 🛪

अधिसूचना

सा. का. नि. राष्ट्रपित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए ------ (मूल नियमों का संक्षिप्त नाम, वर्ष के साथ, जैसािक वह राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है) का संशोधन/और संशोधन^{*1} करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

*1मूल नियमों के पहले संशोधन की दशा में "संशोधन करने" और दूसरे या पश्चात्वर्ती संशोधनों की दशा में, "और संशोधन करने" शब्दों का प्रयोग करें।

- 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम(मूल नियमों के नाम का "भर्ती" शब्द से पूर्व आने वाले भाग का नाम, जिसके पश्चात् "भर्ती (संशोधन) नियम, 2016*²" शब्दों का प्रयोग करें) है ।
 - *2 वर्ष, संशोधन का वर्ष होगा।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2.(मूल नियमों का संक्षिप्त नाम, वर्ष के साथ, जैसाकि वह राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है) के नियम 2^{*3} के स्थान पर, निम्निलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, -- उक्त पद (पदों) की संख्या, उसका (उनका) वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची^{*4} के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"
 - *3 नियम 2 "पर्दों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" के संबंध में, कुछ नियमों में, जहां पदों की संख्या 1 से अधिक है, वहां

इस नियम को नियम 3 के रूप में संख्यांकित किया जा सकता है । कृपया मूल नियमों में यथाउल्लिखित सही नियम संख्या का उल्लेख करें ।

*4 उस दशा में जहां अधोरेखांकित शब्दों को मूल नियम में भिन्न रूप से लेखबद्ध किया गया है, अधोरेखांकित शब्दों के स्थान पर, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा सकेगा।

- 3. **(मूल नियमों का संक्षिप्त नाम, वर्ष के साथ, जैसाकि वह राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है) की अनुसूची में, -
 - (क) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातु :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
(4)	
स्तर	
(₹.)";	

(ख) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड (.......र.) + (और)र. का ग्रेड वेतन"^{*5} शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (......र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे।

*5 उस दशा में जहां अधोरेखांकित शब्द उस स्तंभ मे केवल एक बार आते हैं वहां तथ्यतः उपरोक्त शब्दो का प्रयोग करें;

उस दशा में जहां अधोरेखांकित शब्द उस स्तंभ मे दो बार आते हैं वहां *5 के चिहन वाले स्थान पर, "दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं" शब्द अंतस्थापित करें ;

उस दशा में जहां अधोरेखांकित शब्द उस स्तंभ मे दो से अधिक बार आते हैं वहां *5 के चिहन वाले स्थान पर, "जहां कहीं वे आते हैं" शब्द अंतस्थापित करें ।

^{**} उस दशा में जहां मूल नियमों में दो या अधिक पद अंतर्विष्ट हैं, वहां नियम 3 को निम्नान्सार सूत्रबद्ध किया जाएगा :-

^{3.(}मूल नियमों का संक्षिप्त नाम, वर्ष के साथ, जैसाकि वह राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है) की अनुसूची में, -

(i) स्तंभ 4 में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :- "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4) स्तर (र.)"; (ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड (र.) + (और)र. का ग्रेड वेतन" '5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं] (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)	/:\	पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, -
(वंतन मैट्रिक्स में स्तर (4) स्तर (र.)"; (ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड (र.) + (और)र. का ग्रेड वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]	(1) स्तम 4	4 में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर
(4) स्तर (र.)"; (ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड (र.) + (और)र. का ग्रेड वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा ।	निम्नलिखित स	तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
स्तर (ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड (र.) + (और)र. का ग्रेड वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड (र.) + (और)र. का ग्रेड वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को ऊपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा ।		(4)
(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड (र.) + (और)र. का ग्रेड वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		स्तर
वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		(₹.)";
वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		
वेतन" *5 शब्दों, प्रकोष्ठों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर (र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]	(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैं ड (र.) + (और)र. का ग्रेड
(र.)" शब्द, प्रकोष्ठ और अंक रखे जाएंगे । (ख) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, - (i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को उपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		
(i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को ऊपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		
(i) स्तंभ (4) में,(उपरोक्तानुसार); (ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को ऊपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		
(ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को ऊपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]	(ख) पद	प्ते संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, -
(ii) स्तंभ (11) में,(उपरोक्तानुसार); (ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को ऊपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]	(i) स्तंभ (4) में (उपरोक्तानमार):
(ग) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने । कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को ऊपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		
कृपया नोट करें कि स्तंभ (4) और स्तंभ (11) के संशोधनों को ऊपरदर्शित किए गए अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा । [फा.सं]		
अनुसार प्रत्येक पद के लिए दोहराया जाएगा ।		
[फा.सं]	•	
		(फा मं १
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)		[743]
		(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)
पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि, तारीख	•	,
द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख		
		नार भे ।
ं उपराक्त पाद ।८५५ण का उपयाग उस समय किया जाएगा जब मूल नियमा का संशोधन पहली बार किया जा रहा हो ।	में प्रकाशित किए	
	में प्रकाशित किए	गए थे। टिप्पण का उपयोग उस समय किया जाएगा जब मूल नियमों का

मूल नियमों के दूसरे संशोधन की दशा में पाद टिप्पण निम्नानुसार होगा -

"मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि, तारीख
द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख
में प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् उन्हें अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि.
तारीख द्वारा संशोधित किया गया था ।"
·
मूल नियमों के पश्चात्वर्ती संशोधनों की दशा में पाद टिप्पण निम्नानुसार होगा -
"मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि, तारीख
द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख
में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि.
, तारीख, अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि.
तारीख द्वारा किए गए ।" (सभी संशोधनों का उल्लेख
करें)
बड़ी संख्यां में संशोधनों की दशा में, सभी संशोधनों के सा. का. नि. संख्यांक और
बड़ी संख्यां में संशोधनों की दशा में, सभी संशोधनों के सा. का. नि. संख्यांक और तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा –
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा –
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा – "मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि, तारीख
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्निलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा – "मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि, तारीख
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्निलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा — "मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि, तारीख
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्निलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा — "मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्निलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा — "मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि, तारीख
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्निलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा — "मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि
तारीखों का उल्लेख करने की बजाय निम्निलिखित सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा — "मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि

विभाग से परामर्श किया जाएगा।

** उस दशा में, जहां मूल नियमों में टिप्पण, यथास्थिति, स्प्रोन्नितः शीर्ष या स्प्रतिनियुक्तिः उपशीर्ष या दोनों के अधीन अंतर्विष्ट है, वहां नियम 3 के अधीन नियम (ग) और नियम (घ) को, जो सुसंगत हो, निम्नानुसार विरचित किया जाएगा :--

(ग) स्प्रोन्नति- उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाए :--

"टिप्पण : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जाएगा । 3

(घ) स्प्रतिनियुक्तिः उपशीर्ष के अधीन स्तंभ (11) के नीचे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाए :--

"टिप्पण : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 या उस तारीख से पूर्व, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरिक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय वहां के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरिक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में, समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल ऐसे पद (पदों) को विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है । ३